

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 19/2020-21

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	<p>झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<del>कोलाकुहा</del> मौजा न०- 12 खाता न० 142</p> <p>प्लॉट न० 3376 रकबा 10 कट्टा की भूमि जो गैरमजरुआ खास, जनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 3405 पर जमाबंदी रैयत श्री परमानन्द प्रसाद पिता- स्व. रामदेव प्रसाद के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से उचित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सहम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य मिजि लाभ एवं राजस्व को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 21/4/19 को रखें।</p>	




अंचल अधिकारी

धनबाद।

3/4/19

अभिलेख उपस्थापित एवं ल निरीक्षक से मातव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

23/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 21/5/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 28/6/20 को रखे।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कोलाकुसमा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट नं० 3376 रकबा 10 कृद्दा भूमि से संबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० ..... (.....) के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे संबधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया।

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

सादर अभिलेख संख्या- \_\_\_\_\_ / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

नाम श्री परमानन्द प्रसाद  
पिता - रामदेव प्रसाद

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-कोलाकुल्ला थाना नं०-12 खाता नं०-147 खेसरा नं०-3376 रकबा-10 के.ए. से संबंधित आपके नाम से हठ नं०-2 के पंजी-II भाग 18 के पृष्ठ 3405 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- \_\_\_\_\_ को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान-

## संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जीव प्रतिवेदन

4162

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री परमानन्द प्रसाद शर्मा रामकृष्ण प्रसाद

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

सौदा	खाना सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा
श्रीशकुलशर्मा	12	142	3376	10 कठ्ठा

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 12 ..... पृष्ठ सं० ... 3415 ..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2007/08

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दण्ड खात मुजसं. 1115.  
(B) 2007/08 के अनुसार जमाबंदी सं० 144 से घटकर 8111

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीशकुलशर्मा

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबन्धित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जीव किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

टाकिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	073574	14/09/07	2007/08
02	2844034	11/10/10	10/11